

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग  
\*\*\*

द्वितीय तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,  
नई दिल्ली-110003. दिनांक : , 2011.

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु वर्ष 2010-11 के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मिकों द्वारा हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों की प्रविष्टियां आमंत्रित हैं ।

2. पात्रता तथा शर्तें :

- (i). योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिन्दी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।
- (ii). पुस्तक 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 के दौरान प्रकाशित की गई हो । पांडुलिपि स्वीकार्य नहीं हैं ।
- (iii). किसी भी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी ।
- (iv). पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों।
- (v). पुस्तक की विषयवस्तु केन्द्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो ।
- (vi). मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं ।
- (vii). पुस्तक में कम से कम 100 पृष्ठ हों ।
- (viii). पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो ।
- (ix). पुस्तक लेखक की मौलिक रचना हो और कापीराइट एक्ट(यथासंशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता हो ।

3. प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया

- (i) लेखक अनुलग्नक 'क' पर दिये गये प्रोफार्मा के साथ प्रविष्टि भेजें ।
- (ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ(अनुलग्नक 'ख' पर दिए गए प्रोफार्मा में) इस विभाग को भेजें ।
- (iii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां अवश्य भेजी जाएं ।
- (iv) प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक 20 सितंबर, 2011 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

- (v) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।
- (vi) प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :-  
उप निदेशक(कार्यान्वयन),  
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
कमरा नं. ए-3, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.  
फोन/फैक्स नं. 011-24617657.

4. **पुरस्कार राशि** - इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :-

प्रथम पुरस्कार	- 40,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार	- 30,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार	- 20,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार	- 10,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

5. **पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया** - पुस्तकों का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के आधार पर हिंदी के किसी लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है । मानदंडों का विवरण राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर है ।

6. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थाओं एवं केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित कर दें । इस योजना के बारे में सूचना हमारी वेबसाइट <http://www.rajbhasha.gov.in> तथा <http://www.rajbhasha.nic.in> पर भी उपलब्ध है ।

(रमेशबाबू अणियेरी)

निदेशक(का.)

दूरभाष : 24643622

**प्रति :-**

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय / प्रधानमंत्री कार्यालय / लोकसभा सचिवालय / राज्यसभा सचिवालय / निर्वाचन आयोग ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप, संसद मार्ग, नई दिल्ली/सूचीबद्ध सभी विभाग ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली ।
4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।

6. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (संलग्न सूची के अनुसार 8) - उनसे अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें। कृपया जारी परिपत्र की प्रति राजभाषा विभाग को सूचनार्थ भेज दें।
7. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/प्रभाग/अनुभाग/डैस्क।
8. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का० ज्ञा० को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।
9. निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/ केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिन्दी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें।
10. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली. - 30 प्रतियाँ.
11. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स.वाई.-68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली.
12. महामंत्री, अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ, 139, पुरानी अनारकली, गली नं० 4, दिल्ली-110 051
13. सचिव, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, सामुदायिक केंद्र, दिल्ली नगर निगम, 10788-89 झंडेवाला रोड, नवी करीम, नई दिल्ली-110 055
14. पत्रिका एकक, राजभाषा विभाग को विभाग की पत्रिका 'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ।

(रमेशबाबू अणियेरी)  
निदेशक(का.)

हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु  
इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 2010-11

1. (क) लेखक का नाम .....
- (ख) पदनाम या पूर्व पदनाम .....
- (ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम और पता .....
- (घ) कार्यालय में लेखक द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य की प्रकृति .....
- (ङ) मंत्रालय / विभाग का नाम .....
- (च) लेखक का पूरा डाक पता(पिनकोड सहित) .....
- .....
- (छ) दूरभाष नं.(एस.टी.कोड सहित)/फैक्स .....
- (ज) लेखक का ई-मेल पता .....
2. पुस्तक का नाम .....
3. पुस्तक का विषय.....
4. प्रकाशक का नाम व पता .....
5. प्रकाशन का वर्ष ..... माह .....
6. मैं.....पुत्र/पुत्री श्री ..... केंद्र सरकार अथवा उसके  
अधीन कार्यालय.....में कार्यरत हूँ /से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एतद्वारा  
प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा  
संशोधित),1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है ।

दिनांक : ..... लेखक के हस्ताक्षर

\*नोट : जो लागू न हों काट दें ।

मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा सम्बद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, वर्ष 2010-11 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है ।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 2010-11 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/दूसरी/ तीसरी/चौथी पुस्तक है ।

3. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिन्दी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है ।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मोहर सहित हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक :

पदनाम :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :

दूरभाष/फैक्स :  
No.12011/01/2011-OL(Impl.II)

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

2<sup>nd</sup> Floor, Loknayak Bhavan, Khan Market,  
New Delhi, Dated The \_\_\_\_\_, 2011.

### **OFFICE MEMORANDUM**

#### **SUBJECT : INDIRA GANDHI OFFICIAL LANGUAGE AWARD SCHEME FOR THE YEAR 2010-11 FOR WRITING ORIGINAL BOOKS IN HINDI.**

Entries for the year 2010-11 in the form of original books written in Hindi are invited from the working/retired Central Government employees under the Indira Gandhi Official Language Award Scheme of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

#### **2. Eligibility and Conditions :**

- (i) Under the scheme only those books in Hindi which are original work of the authors are accepted for award. Translated books are not accepted.
- (ii) Under the scheme, books published during 01 April, 2010 to 31 March, 2011 are acceptable.
- (iii) The books awarded previously by any organization will not be eligible for the award.
- (iv) The author must be a working/retired officer/employee of the Ministries/ Departments/their attached/subordinate offices, Public Sector Undertakings of Central Govt., Nationalised Banks/Financial Institutions of the Central Government and Autonomous Bodies, Universities/Training Institutes owned or controlled by the Central Government.
- (v) The subject matter of the book must be related to the official work done/being done by the employee in the said offices/organisations/institutes of the Central Government.
- (vi) Manuals, glossaries, memoirs, poems, stories, dramas, novels etc. are not eligible under this scheme.
- (vii) The book should contain at least 100 pages.
- (viii) The book should not be a textbook of curriculum of any educational or training institute.
- (ix) The book should be the original work of the author and does not violate the copyright of any other author under the Copyright Act(As amended), 1997 .

#### **3. Procedure for sending the entries**

- (i). The author should send his/her entry/entries along with proforma given at **Annexure 'A'**.
- (ii). The Attestation and recommendations by the head of department/office of the in-service/ retired officer/employee. in the prescribed Proforma as at **Annexure 'B'** be forwarded to this department
- (iii). Three copies of the book invariably be sent with each entry.

- (iv). All entries must reach this Department latest by 20 Sept., 2011. Entries received after the prescribed date shall not be entertained.

--- : 2 : ---

- (v). Books received under this scheme will not be returned and no interim inquiry will be entertained.
- (vi). Entries may be sent at the following address :-

**Deputy Director (Implementation),  
Implementation-2, Department Of Official Language,  
Ministry Of Home Affairs,  
Room No. A-3, 2<sup>nd</sup> Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,  
New Delhi-110003, Phone/Fax No. 011-24617657**

4. **Award Money** - The following awards are given under the scheme :-

- First Prize - 40,000 Rupees, a Certificate and a Memento.
- Second Prize - 30,000 Rupees, a Certificate and a Memento.
- Third Prize - 20,000 Rupees, a Certificate and a Memento.
- Consolation Prize - 10,000 Rupees, a Certificate and a Memento.

5. **Evaluation Procedure of Books** - Books are evaluated by a committee under the chairmanship of an available renowned scholar of Hindi . Details of criteria are given at the website of Department of Official Language.

6. The Ministries/Departments are requested to circulate this scheme of writing original books in Hindi to all their Attached/Subordinate offices, Undertakings, Nationalised Banks and Financial Institutions, Universities and Training Institutions owned or controlled by the Central Government. Information about this scheme is also available on our website <http://www.rajbhasha.gov.in> and <http://www.rajbhasha.nic.in> .

(Remeshbabu Aniyery)

Director(Impl.)  
Phone: 24643622

Encls.-2  
COPY : as in Hindi version

**INDIRA GANDHI OFFICIAL LANGUAGE AWARD SCHEME  
FOR THE YEAR 2010-11 FOR WRITING ORIGINAL BOOKS IN HINDI**

1. (i) Name of the Author .....
- (ii) Designation/Former Designation .....
- (iii) Name of Office/Former Office & Address .....
- (iv) Nature of the work done/being done by the author in the office .....
- (v) Name of Concerned Ministry/Department .....
- (vi) Full Mailing Address of the Author(Including Pin Code) .....
- (vii) Phone No. with STD Code/Fax : .....
- (viii) E Mail Address of the Author .....

2 Name of the book .....

3 Subject matter of the book .....

4. Name & address of the Publisher .....

5. Year of publication : ..... Month .....

6. I \_\_\_\_\_, Son/Daughter of Sh.\_\_\_\_\_ have been *working in/retired from* the office .....of central government or under the central government, hereby certify that the book is my original work and does not violate the copyrights of any other author under the copyright act(as amended), 1997.

Dated :

.....  
Signature of the  
Author

(\*Strike which is not applicable)

-----  
**ANNEXURE 'B'**

**ATTESTATION & RECOMMENDATION MADE BY THE  
MINISTRY/DEPARTMENT/ATTACHED/SUBORDINATE OFFICES ETC.**

The above mentioned work has been found suitable and is hereby recommended on the basis of the facts and relevant record submitted by the writer for considering it for Indira Gandhi Official Language Award for the year 2010-11 for writing original books in Hindi.

2. This is the first/second/third/fourth book recommended by this Ministry/ Department/ Office for the year 2010-11 so far.

3. The above mentioned book has not been recommended earlier under Indira Gandhi Award Scheme for writing original books in Hindi.

Dated :

Signature with Seal of Chairman, Official Language  
Implementation Committee  
Name :  
Designation :  
Ministry/Deptt./Office/Institute  
Phone/Fax No. :

**हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार : वर्ष 2010-11.**

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकें आमंत्रित करता है।

**2. पात्रता तथा शर्तें :**

- (i). योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।
- (ii). पुस्तक 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 के दौरान प्रकाशित की गई हो। पांडुलिपि स्वीकार्य नहीं हैं।
- (iii). किसी भी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगी।
- (iv). पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी हों।
- (v). पुस्तक की विषयवस्तु केन्द्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो।
- (vi). मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं।
- (vii). पुस्तक में कम से कम 100 पृष्ठ हों।
- (viii). पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो।
- (ix). पुस्तक लेखक की मौलिक रचना हो और कापीराइट एक्ट(यथासंशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता हो।

**3. प्रविष्टियां भेजने की प्रक्रिया**

- (i) लेखक अनुलग्नक 'क' पर दिये गये प्रोफार्मा के साथ प्रविष्टि भेजें।
- (ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ(अनुलग्नक 'ख' पर दिए गए प्रोफार्मा में) इस विभाग को भेजें।
- (iii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां अवश्य भेजी जाएं।
- (iv) प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक 20 सितंबर, 2011 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।



- (v) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।
- (vi) प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :-  
उप निदेशक(कार्यान्वयन),  
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
कमरा नं. ए-3, द्वितीय तल, लोकनायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003.  
फोन/फैक्स नं. 011-24617657.

4. **पुरस्कार राशि** - इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :-

प्रथम पुरस्कार	- 40,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार	- 30,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार	- 20,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार	- 10,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

5. **पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया** - पुस्तकों का मूल्यांकन निर्धारित मानदंडों के आधार पर हिंदी के किसी लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है । मानदंडों का विवरण राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर है ।

6. इस योजना के बारे में सूचना हमारी वेबसाइट <http://www.rajbhasha.gov.in> तथा <http://www.rajbhasha.nic.in> पर भी उपलब्ध है ।

(रमेशबाबू अणियेरी)  
निदेशक(का.)  
दूरभाष : 24643622

**ADVERTISEMENT**  
No.12011/1/2011-OL(Impl.II)  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

**INDIRA GANDHI OFFICIAL LANGUAGE AWARD SCHEME FOR THE YEAR  
2010-11 FOR WRITING ORIGINAL BOOKS IN HINDI.**

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs invite books written in Hindi by the working/retired employees of the Central Government for the year 2010-11 under Indira Gandhi Official Language Award Scheme.

**2. Eligibility and Conditions :**

- (i) Under the scheme only those books in Hindi which are original work of the authors are accepted for award. Translated books are not accepted.
- (ii) Under the scheme, books published during 01 April, 2010 to 31 March, 2011 are acceptable.
- (iii) The books awarded previously by any organization will not be eligible for the award.
- (iv) The author must be a working/retired officer/employee of the Ministries/ Departments/their attached/subordinate offices, Public Sector Undertakings of Central Govt., Nationalised Banks/Financial Institutions of the Central Government and Autonomous Bodies, Universities/Training Institutes owned or controlled by the Central Government.
- (v) The subject matter of the book must be related to the official work done/being done by the employee in the said offices/organisations/institutes of the Central Government.
- (vi) Manuals, glossaries, memoirs, poems, stories, dramas, novels etc. are not eligible under this scheme.
- (vii) The book should contain at least 100 pages.
- (viii) The book should not be a textbook of curriculum of any educational or training institute.
- (ix) The book should be the original work of the author and does not violate the copyright of any other author under the Copyright Act(As amended), 1997 .

**3. Procedure for sending the entries**

- (i). The author should send his/her entry/entries along with proforma given at **Annexure 'A'**.
- (ii). The Attestation and recommendations by the head of department/office of the in-service/ retired officer/employee. in the prescribed Proforma as at **Annexure 'B'** be forwarded to this department
- (iii). Three copies of the book invariably be sent with each entry.
- (iv). All entries must reach this Department latest by 20 Sept., 2011. Entries received after the prescribed date shall not be entertained.
- (v). Books received under this scheme will not be returned and no interim inquiry will be entertained.

(vi). Entries may be sent at the following address :-

Deputy Director (Implementation),  
Implementation-2, Department Of Official Language,  
Ministry Of Home Affairs,  
Room No. A-3, 2<sup>nd</sup> Floor, Lok Nayak Bhavan, Khan Market,  
New Delhi-110003, Phone/Fax No. 011-24617657

4. **Award Money** - The following awards are given under the scheme :-

- First Prize - 40,000 Rupees, a Certificate and a Memento.  
Second Prize - 30,000 Rupees, a Certificate and a Memento.  
Third Prize - 20,000 Rupees, a Certificate and a Memento.  
Consolation Prize - 10,000 Rupees, a Certificate and a Memento.

5. **Evaluation Procedure of Books** - Books are evaluated by a committee under the chairmanship of an available renowned scholar of Hindi . Details of criteria are given at the website of Department of Official Language.

6. Information about this scheme is also available on our website <http://www.rajbhasha.gov.in> and <http://www.rajbhasha.nic.in> .

(Remeshbabu Aniyery)  
Director(Impl.)  
Phone: 24643622